PV

T.D.R. क्र. फैक्टरिंग ग्राम, सेमुलिया

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/66

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
251 (A) (2) प्रार्थना पत्र	12/2024	14/2/24	~~Abate~~ 8/1/25	12/3/24 14/8/24 3/9/24 30/9/24 10/10/24 23/10/24 12/11/24 27/11/24 18/12/24 ~~24/12/25~~ 24/12/24 8/1/25

~~Abate~~ 8/1/25

अनवान

श्री भंवरलाल S/O नगजीराम धाकड़ श्री ~~[illegible]~~ तहसीलदार बिजौलियाँ तह. बिजौलियाँ

निवासी कल्याणपुरा तह. बिजौलियाँ निवासी जिला - भीलवाड़ा (राज.)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़ श्री ~~Ex. Party~~ परोबार सरकार

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

र्थनापत्र संख्या :– **12 / 2024**

दायर तारीख **14 / 02 / 2014**

अनवान

01. भंवरलाल पिता नगजीराम धाकड़ उम्र 50 साल निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ ....अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. पैरोकार सरकार ....अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :–08/01/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण भूमिधारी तहसीलदर बिजौलियां पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी भूमि ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिां में स्थित खाता संख्या 126 में अंकित खसरा नम्बर 278/156 क्षेत्रफल 05 बीघा एवं खसरा नम्बर 279/156 क्षेत्रफल 05 बीघा कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 10 बीघा किस्म बारानी तृतीय में स्थित है। जिस पर आने–जाने के लिए 18 फीट चौडा रास्ता जो कि खसरा संख्या 157 रकबा 1.06 बीघा किस्म गेमु. रास्ता में से विपक्षी की बिलानाम आराजी संख्या 156 रकबा 24.06 बीघा भूमि की उत्तरी मेंड़ के साहरे सहारे पश्चिमी उत्तरी कोने से मुड़कर इसी आराजी के उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 278/156 में प्रवेश करता है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के पुर्व के खातेदार वर्षो से उसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। मौके पर वर्तमान में भी उसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ते के निशान/आलामात मौजुद है। विपक्षी की उक्त बिलानाम आराजी संख्या 156 में स्थित रास्ता प्रार्थी की आराजी को मुख्य सड़क से जोडकर आने–जाने का सबसे संक्षिप्त नजदीकी रास्ता हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पास अपनी आराजीयात पर आने–जाने हेतु ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ते को प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाना चाहता है ताकि भविष्य में प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने के उक्त रास्ते को कोई अवरुध ना कर सके। मेरे पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी विपक्षी की उक्त खसरा संख्या 156 में स्थित उक्त 18 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त 18 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किए जावें

प्रार्थनापत्र दिनांक 14.02.2024 को नियमानुसार दस्तावेजों की जांच कर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तहसीलदार बिजोलिया की तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थना–पत्र भेज करवाई गई । तहसीलदार बिजौलियां की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तहसीलदार बिजौलियां को मौका रिपोर्ट के कमांक/रीडर/2024/1319 दिनांक 23.07.24 को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बिजौलियां के पत्र कमांक/राजस्व/2024/1838 दिनांक 19.11.2024 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जांच रिपोर्ट के साथ भू.अ.नि. बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी जावदा का मौका पर्चा और नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी की नकल संलग्न होकर प्राप्त हुई । समस्त दस्तावेजों को संलग्न पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया कि भू.अ.नि. बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी जावदा द्वारा मौका पर्चा अनुसार ग्राम केशुविलास के आराजी नम्बर 278/156 रकबा 0.8094 हैक्टेयर (05 .00बीघा) भूमि खातेदार भंवरलाल पुत्र नगजीराम धाकड़ निवासी कल्याणपुरा के नाम दर्ज है। प्रार्थी को उक्त खातेदारी आराजी में आने–जाने के लिए 156 में से 18 फीट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है। आराजी नम्बर 156 रकबा 24.07 बीघा भूमि बिलानाम काबिला काश्त दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए 156 में से 5.5 मीटर चौड़ा एवं 168 मीटर लम्बा रास्ते की आवश्यकता है। जिसका क्षेत्रफल 0.0924 हैक्टयर भूमि है। उक्त आराजी आबादी क्षेत्र से 920 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि पर पहुँचने के लिए न्यूनतम दूरी का अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

ग्राम केशिविलास की रास्ते हेतु प्रस्तावित बिलानाम आराजी नम्बर 156 रकबा 24.07 बीघा में से 0.0924 हैक्टेयर (0.12) भूमि की डी.एल.सी. दर 57931/–रूपये प्रति बीघा से भूमि की मालियत 35959/– रूपये का दुगुना 71918/–रूपये की राशि बनती है। मौका रिपोर्ट, नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस की प्रतियां रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय मोहर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां की जांच रिपोर्ट को प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वीकार कर ऑडरशीट पर हस्ताक्षर किए। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं पेरोकार सरकार के बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–:आदेश:–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान श्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जात है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी ग्राम सुविलास पटवार हल्का जावदा भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिां में स्थित ाता संख्या 126 में अंकित खसरा नम्बर 278/156 क्षेत्रफल 05 बीघा एवं खसरा नम्बर 279/156 त्रफल 05 बीघा कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 10 बीघा किस्म बारानी तृतीय स्वयं के पैदल , मोटर साईकल, क्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला लवाड़ा के ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा भू अभिलेख क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां ी जमाबंदी के खाता संख्या 01 में अंकित खसरा संख्या 156/2 क्षेत्रफल 24.09 बीघा में से 0.0924 क्टेयर (0.12 बीघा) 5.5 मीटर (18 फीट) चौड़ा एवं 168 मीटर लम्बा नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता, भूमि को ाजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 57931/–रूपये प्रति बीघा में से 0.0924 हैक्टयर (0.12 बीघा) भूमि की मालियत की दुगुनी राशि **71918/–रूपये** बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि **71918/–रूपये** जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 08/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा